भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

01.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1564 का उत्तर

मनोहराबाद-कोथापल्ली और भद्राचलम-कोव्वुर रेल परियोजनाएँ

1564. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनोहराबाद-कोथापल्ली और भद्राचलम-कोव्वुर रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तपोषण/भूमि अधिग्रहण जैसे कारकों के कारण देरी हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है, प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य सरकार से वित्तीय योगदान की स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) दोनों परियोजनाओं के पूरा होने की संशोधित समय-सीमा क्या है और उनकी प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): मनोहराबाद-कोत्तपल्ली नई लाइन परियोजना को तेलंगाना राज्य सरकार के साथ लागत साझाकरण के आधार पर स्वीकृत दी गई थी, जिसमें तेलंगाना सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है और परियोजना की एक-तिहाई निर्माण लागत वहन करनी है। परियोजना की कुल लंबाई 151 किलोमीटर है, जिसमें से मनोहराबाद-सिद्दीपेट के बीच 76 किलोमीटर की लंबाई पूरी हो चुकी है। शेष खंड अर्थात सिद्दीपेट-कोत्तपल्ली पर कार्य शुरू हो चुका है।

इस परियोजना के लिए कुल 1145.6 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से, 1049.5 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और शेष 96.1 हेक्टेयर भूमि तेलंगाना सरकार द्वारा अधिगृहीत की जानी बाकी है। राज्य सरकार द्वारा 926.93 करोड़ रुपये में से 416 करोड़ रुपये जमा दिए गए हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा जमा की जाने वाली शेष राशि 511.20 करोड़ रुपये है। परियोजना का निष्पादन परियोजना के लिए समय पर भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार द्वारा हिस्सेदारी जमा करने पर निर्भर करता है।

भद्राचलम कोव्वुर (119 किलोमीटर) नई लाइन परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 50% लागत साझेदारी के आधार पर 2155 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत पर स्वीकृति दी गई थी। भद्राचलम-सतुपल्ली (56.25 किलोमीटर) नई लाइन परियोजना पहले ही मई, 2022 में पूरी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार से परियोजना की लागत साझा करने के लिए अपनी सहमति की पुनः पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत साझेदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगिताओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना(ओं) के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।
